UPVR010060212017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), वाराणसी।

आपराधिक वाद संख्या-140 सन् 2017

उ०प्र० राज्य ----------अभियोगी

प्रति

एकलाख अहमद पुत्र मतीउल्लाह निवासी म०नं०-जे० 05/56 अमानुल्लापुरा, थाना- जैतपुरा, वाराणसी। ----------अभियुक्त

अपराध संख्या-06/2016
धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम
थाना-जैचपुरा, जनपद-वाराणसी।

निर्णय

1- पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त एकलाख अहमद मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2- प्रार्थी/अभियुक्त एकलाख अहमद के विरूद्ध दिनांक 05.01.2016 को समय 00.00 बजे आप अभियुक्त के परिसर में विद्युत विभाग की टीम द्वारा चेकिंग में पाया गया आपके विद्युत बकाये पर काटे गये संयोजनों की पुनः जांच करने पर बिना बिल भुगतान किये लाईन जोड़कर विद्युत का उपयोग किये जाने के आधार पर अंतर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र दिनांकित 16.04.2025 प्रस्तुत कर कहा गया है कि अभियुक्त बहुत ही गरीब एवं मजदूर व्यक्ति हैं जो मुकदमा लड़ने में असमर्थ हैं। इसलिए अपना जुर्म स्वीकार कर मुकदमें का निस्तारण कराना चाहते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान किया गया कि वह अत्यधिक गरीब व कमजोर हैं। अतः प्रार्थना है कि कम से कम अर्थदण्ड लगाकर कन्फेशन के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाए।

4- प्रार्थी/अभियुक्त एकलाख अहमद का संस्वीकृति के आधार पर बयान मुल्जिम बनाया गया जिसमें उसने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोप व घटना को सही बताया है। अभियुक्त ने जुर्म को स्वतंत्र मस्तिष्क से बिना किसी दबाव के स्वेच्छया स्वीकार करना बताया है। अभियुक्त ने जुर्म स्वीकारोक्ति यह जानते हुए किया है कि उसे धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम में विहित अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

Digitally signed by Sudhakar Rai
Date: 2025.04.16 15:01:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5- अभियुक्त एकलाख अहमद पर विच्छेदित संयोजन को अवैध रूप से बिना बकाए का भुगतान किये पुनः संयोजित कर LMV 1 में 1KW की विद्युत चोरी किये जाने का आरोप है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त उपरोक्त को संस्वीकृति के आधार पर धारा 138 बी विद्युत अधिनियम के अभियोग से दोषसिद्ध किया जाता है।

दिनांक-16.04.2025

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
वाराणसी।
जे०ओ०कोड-यू०पी० 6256

6- अभियुक् एकलाख अहमद को सजा के बिंदु पर सुना गया।

7- अभियुक्त पर धारा 138 बी विद्युत अधिनियम का अपराध कारित किये जाने का आरोप है। धारा 138 बी विद्युत अधिनियम में दण्ड का जो प्रावधान है वह अधिकतम तीन वर्ष तक का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है।

8- अभियुक्त एकलाख अहमद की जुर्मस्वीकारोक्ति तथा उसकी परिस्थिति को विचार में लेते हुए यह न्यायालय उचित समझती है कि अभियुक्त उपरोक्त को 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

<u>दण्डादेश</u>

9- अभियुक्त एकलाख अहमद को मुकदमा अपराध संख्या 06/2016 अंतर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम के अंतर्गत को अंकन-2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

10- अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए। यदि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि तत्काल जमा नहीं की जाती है तो उसका सजायाबी वारंट तैयार कर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार वाराणसी भेजा जाए।

दिनांक-16.04.2025

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
वाराणसी।
जे०ओ०कोड-यू०पी० 6256

11- यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-16.04.2025

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
वाराणसी।
जे०ओ०कोड-यू०पी० 6256

Steno- Mohd Muqeem